



Neutral Citation No-2026:AHC:7999

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4847 वर्ष 2025

नवाब सिंह और 2 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

समेकन के उप निदेशक और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: जितेंद्र प्रताप सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता और राज्य-प्रतिपक्षी के स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ताओं ने चकबंदी के उप निदेशक द्वारा पारित दिनांक 15.04.2025 के आदेश के खिलाफ अपनी शिकायत दिखाई है, जिसके तहत दोनों पक्षों को सुनने के बाद योग्यता के आधार पर परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर देरी माफी आवेदन पर निर्णय लेने के लिए समेकन के निपटान अधिकारी के समक्ष मामला भेज दिया गया है।
3. लंबे विचार-विमर्श के बाद, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने मौखिक रूप से इस न्यायालय द्वारा निर्देशित अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिपक्षियों की ओर से दायर 24.03.1987 के आदेश को चुनौती देते हुए दिनांक 02.09.2024 की अपील दायर करने में देरी का फैसला करने के लिए समेकन के निपटान अधिकारी को परमादेश जारी करने के लिए मौखिक रूप से प्रार्थना की है।
4. स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर विलंब माफी आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित प्राधिकारी को निर्देश जारी किया जाता है।



5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा। इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाना उचित समझता है, इस निर्देश के साथ कि कन्सोलिडेशन के निपटान अधिकारी, कानपुर देहात, जिनके समक्ष विलंब माफी आवेदन विचाराधीन है, संशोधन संख्या-0130 वर्ष 2024 में चकबंदी के उप निदेशक द्वारा पारित दिनांक 15.04.2025 के आदेश के अनुसरण में, कानून के अनुसार, शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से पांच महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेगा।

जनवरी 13, 2026

वीआर

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)